कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर।

पत्रांकःआईजीआरएस-04/2025 दिनांकः अप्रैल 03 ,2025

सेवा में,

लोक शिकायत अनुभाग-3
(मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय)
उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

कृपया आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त पी0जी0 पोर्टल (भारत सरकार) सन्दर्भ संख्याः 60000250056398 दिनांक 18-03-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो आवेदक श्री अशोक कुमार मौर्या पुत्र मुरलीधर मौर्या निवासी बिहसड़ा खुर्द थाना जिगना, जनपद मीरजापुर के शिकायती प्रा0पत्र पर जाँच/कार्यवाही कराते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि आवेदक श्री अशोक कुमार मौर्या उपरोक्त के प्रार्थना पत्र की जाँच अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन, जनपद मीरजापुर द्वारा करायी गयी। जाँच अधिकारी की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद मीरजापुर।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

मीरजापुर।

कृपया आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायती सन्दर्भ संख्या- 60000250056398 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आवेदक श्री अशोक कुमार मौर्या पुत्र मुरलीधर मौर्या निवासी बिहसड़ा खुर्द थाना जिगना जनपद मीरजापुर के शिकायती प्रा0पत्र में अंकित आरोपों के सम्बन्ध में जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

1. आवेदक/शिकायतकर्ता का नाम पता व मोबाइल नम्बर- आवेदक श्री अशोक कुमार मौर्या पुत्र मुरलीधर मौर्या निवासी बिहसड़ा खुर्द थाना जिगना जनपद मीरजापुर मो0नं0- 9619971441।

2. विपक्षी का नाम व मो0नं0- गुलाब चन्द्र मौर्या पुत्र रामदेव मौर्या निवासी बिहसड़ा खुर्द थाना जिगना जनपद मीरजापुर आदि।

3. शिकायत कर्ता द्वारा की गयी शिकायत/आरोप का संक्षिप्त विवरण- प्रार्थना पत्र में मुख्यतः विपक्षी द्वारा मा0 न्यायालय के स्टे आर्डर के बाद भी निर्माण कार्य करने आदि कतिपय आरोपों के सम्बन्ध में।

4. जांच करने वाले अधिकारी का नाम व पद- ओम प्रकाश सिंह अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन, जनपद-मीरजापुर।

5. जांच आख्या:- प्रश्नगत प्रकरण की जांच के क्रम में क्षेत्राधिकारी लालगंज से प्राप्त आख्या के अवलोकन, ग्राम वासियों व बीट उ0नि0 से पूछताछ कर जानकारी करने पर पाया गया कि आवेदक अशोक कुमार मौर्या पुत्र मुरलीधर मौर्या निवासी बिहसड़ा खुर्द थाना जिगना जनपद मीरजापुर के घर के पास विपक्षी गुलाब चन्द्र मौर्या पुत्र रामदेव मौर्या निवासी बिहसड़ा खुर्द थाना जिगना जनपद मीरजापुर का खेत(जमीन) है तथा आवेदक का खेत(जमीन) विपक्षी के खेत(जमीन) के बाद है। विपक्षी गुलाब चन्द्र मौर्या उपरोक्त अपने खेत में मकान बना रहा था तो आवेदक द्वारा विपक्षी के मकान को बनने से रोकने के लिए मा0 न्यायालय में वाद संख्या दाखिल कर मा0 न्यायालय द्वारा मकान निर्माण पर स्थगन आदेश पारित कराया गया जिसके अनुपालन में विपक्षी गुलाब मौर्या उपरोक्त को मकान निर्माण करने से रोकवाया गया है तथा विपक्षी गुलाब मौर्या को मा0 न्यायालय के आदेश से अवगत करा दिया गया है। आवेदक अशोक कुमार मौर्या से जरिये दूरभाष वार्ता करने बता रहे है कि विपक्षी गुलाब चन्द्र मौर्या उपरोक्त 06 भाई है और मेरे हिस्से के 01 विस्सा जमीन कब्जा कर लिये है व मा0 न्यायालय में मुकदमें के बारे मे पूछने पर बता रहे है कि वाद संख्या 504/2023 मा0न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) मीरजापुर में धनदेसी बनाम गुलाबचन्द्र वगैरह दाखिल है, जो वर्तमान समय में मा0 न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें अग्रिम तिथि 07.04.2025 नियत है। उभयपक्षों को बताया गया कि उपरोक्त मा0 न्यायालय में पैरवी कर अनुतोष प्राप्त करें। आवेदक अशोक कुमार मौर्या उपरोक्त अपने घर तक जाने के लिए रास्ता चाहता है, उसी रास्ते को लेकर विपक्षी गुलाब चन्द्र मौर्या उपरोक्त से विवाद चल रहा है। शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत थाना जिगना द्वारा उभयपक्षों के विरुद्ध धारा 126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही दिनांक 05.01.2025 को की गयी है।उपरोक्त विवाद के सम्बंध में राजस्व विभाग के आख्या के अवलोकन से पाया गया कि अभिलेख दुरुस्ती के बावत प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसके सम्बंध में आवेदक को अवगत कराया गया कि वह अभिलेख दुरुस्ती हेतु धारा 32/38 के अन्तर्गत वाद योजित कर अनुतोष प्राप्त करें (**सुलभ सन्दर्भ हेतु राजस्व विभाग की आख्या संलग्न जाँच है**)। अब तक की जांच से आवेदक द्वारा प्रा0पत्र में लगाये गये अन्य आरोपों के सम्बन्ध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं पाये जा रहे है।

6. आरोप सिद्ध हो रहे अथवा नही- उपरोक्तानुसार।

7. पुलिस अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही /प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण - उपरोक्तानुसार।

8. अन्य कोई तथ्य हो तो उसका विवरण- उपरोक्तानुसार।

जांच आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

1/4/25

दिनांक: अप्रैल 01, 2025

अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन,
मीरजापुर।

पुलिस अधीक्षक

मीरजापुर।

कृपया आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायती सन्दर्भ संख्या- 60000250006126 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आवेदक अशोक कुमार मौर्या पुत्र मुरलीधर मौर्या निवासी बिहसड़ा खुर्द थाना जिगना जनपद मीरजापुर के शिकायती प्रा0पत्र में अंकित आरोपो के सम्बन्ध में जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

1.आवेदक/शिकायतकर्ता का नाम पता व मोबाइल नम्बर- आवेदक अशोक कुमार मौर्या पुत्र मुरलीधर मौर्या निवासी बिहसड़ा खुर्द थाना जिगना जनपद मीरजापुर मो0नं0- 9619971441

2- विपक्षी का नाम पता – गुलाब चन्द्र मौर्या पुत्र रामदेव मौर्या निवासी बिहसड़ा खुर्द थाना जिगना जनपद मीरजापुर आदि।

3- शिकायत कर्ता द्वारा की गयी शिकायत/आरोप का संक्षिप्त विवरण- विपक्षी द्वारा मा0न्यायालय के स्टे आर्डर के बाद निर्माण करने आदि कतिपय आरोप के सम्बन्ध में।

4- जाँच करने वाले अधिकारी का नाम व पद- मंजरी राव, क्षेत्राधिकारी लालगंज मीरजापुर मो0-9454401592

5-.जाँच का सारांश/निष्कर्ष--

प्रश्नगत प्रकरण की जांच के क्रम में थाना जिगना के आख्या के अवलोकन व जाँच प्रा0 पत्र व ग्राम वासियो व बीट उ0नि0 से पूछताछ से पाया गया कि आवेदक अशोक कुमार मौर्या पुत्र मुरलीधर मौर्या निवासी बिहसड़ा खुर्द थाना जिगना जनपद मीरजापुर का खेत(जमीन) है तथा घर के पास विपक्षी गुलाब चन्द्र मौर्या पुत्र रामदेव मौर्या निवासी बिहसड़ा खुर्द थाना जिगना जनपद मीरजापुर के खेत(जमीन) विपक्षी के खेत(जमीन) के बाद है। विपक्षी गुलाब चन्द्र मौर्या उपरोक्त अपने खेत में मकान बना रहा था तो आवेदक का खेत(जमीन) विपक्षी के खेत(जमीन) के बाद है। विपक्षी गुलाब चन्द्र मौर्या उपरोक्त अपने खेत में मकान बना रहा था तो आवेदक द्वारा विपक्षी के मकान को बनने से रोकने के लिए मा0 न्यायालय में वाद संख्या दाखिल करने पर मा0 न्यायालय द्वारा मकान निर्माण पर स्टे करने का आदेश के अनुपालन में विपक्षी गुलाब मौर्या उपरोक्त को मकान निर्माण करने से रोकवाया गया है। विपक्षी गुलाब मौर्या को मा0 न्यायालय के आदेश से अवगत करा दिया गया है। आवेदक अशोक कुमार मौर्या से जरिये दूरभाष वार्ता करने बता रहे है कि विपक्षी गुलाब चन्द्र मौर्या उपरोक्त 06 भाई है और मेरे हिस्से के 01 बिस्सा जमीन कब्जा कर लिये है व मा0 न्यायालय में मुकदमे के बारे मे पूछने पर बता रहे हैं कि वाद संख्या 504/2023 मा0न्यायालय में धनदेसी बनाम गुलाबचन्द्र वगैरह दाखिल किये है, जो वर्तमान समय में मा0 न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी अग्रीम तिथि 30.01.2025 नियत है। उभयपक्षो को बताया गया कि उपरोक्त मा0 न्यायालय में पैरवी कर अनुतोष प्राप्त करे। आवेदक अशोक कुमार मौर्या उपरोक्त अपने घर तक जाने के लिए रास्ता चाहता है, उसी रास्ते को लेकर विपक्षी गुलाब चन्द्र मौर्या उपरोक्त से तनाव व्याप्त है। शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत जिगना पुलिस द्वारा उभय पक्षो के विरुद्ध धारा 126/135 बी0एन0एस0एस0 की कार्यवाही दिनांक 05.01.2025 को की गयी है।उपरोक्त विवाद के सम्बंध में राजस्व विभाग के आख्या के अवलोकन से पाया गया कि अभिलेख दुरुस्ती के बावत प्रार्थना पत्र दिया गया ह, जिसके सम्बंध में आवेदक को अवगत कराया गया कि वह अभिलेख दुरुस्ती हेतु धारा 32/38 के अन्तर्गत वाद योजित कर अनुतोष प्राप्त करे, राजस्व विभाग की आख्या संलग्न जाँच है। अब तक कि गयी जाँच व गोपनीय जानकारी से प्रा0पत्र में अंकित आरोपो की पुष्टि साक्ष्य अभाव में नही हो पा रही है। गवाह – सर्वेश मोबाइल नम्बर – 8400383563, गवाह – मीनू मोबाइल नम्बर- 9793357294

6.पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण- विन्दू संख्या-04 में अंकित है।

7.अन्य कोई तथ्य हो तो उसका विवरण- निल

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

दिनांक: जनवरी ,2025

(अशोक कुमार सिंह)
क्षेत्राधिकारी लालगंज
मीरजापुर।

CANCELLED

आर0 डी0 प्रपत्र संख्या ३३७

प्रार्थी/ श्री प्रेमप्रकाश तिवारी एडवो0
8887623601

प्रपत्र – ३

सूचना प्राप्त करने का आवेदन–पत्र

(नियम १२६०) (ए)

02 CF Rs

मूल वाद 504/23
अपील नं0 202 सम्बन्ध में
पुनरीक्षण

आमालय सिविल जज (जू0डि0) केरा0 के न्यायालय में विचाराधीन है।

धनदेवी बनाम सुरेश आदि

प्रार्थी निम्नलिखित प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना चाहता है ।

05
06.01.25

प्रश्न	उत्तर
① क्या वाद उपरोक्त आमालय द्वारा अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है जो अग्रिम तिथि 14.1.2025 तक प्रभावी है ?	श्रीमानजी।
तफसील भूमि आ0 नं0 105 रकबा 0.0420 हे0 स्थित ग्राम सिकरारा पूर्व तप्पा 96 परगना केराकत तहसील सदर जिला जौनपुर।	जी हाँ।
चौहद्दी – पूरब - खेत व मकान शम्भु आदि पश्चिम - खेत पुरुषोत्तम आदि व रास्ता उत्तर - जमीन व मकान भाटी राम व पुरुषोत्तम आदि दक्षिण - खेत शम्भु लाल सेठी आदि	06/01/25 कार्यालय जनपद न्यायाधीश जौनपुर आदेश कार्यालय नियमानुसार अनुपालन करें। प्रभारी अधिकारी

06.01.25

उत्तर देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर व पद

पक्ष या वकील का हस्ताक्षर

CANCELLED

उत्तर के साथ उसी दिन लौटा दिया जायेगा । यदि अभिलेख कहीं बाहर है तो यह बात बता देना और प्रार्थी से निर्दिष्ट दिनांक को फिर आने के लिये कह देना चाहिये ।

एक से अधिक प्रश्न पूछे जाय तो प्रत्येक अतिरिक्त प्रश्न के लिए दो आने का अतिरिक्त शुल्क अवश्य लगा होना चाहिए ।